कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/लेखा/डी–2/28011/21–22 दिनांकः 24.08.21

अति–आवश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक,शिक्षा,

विषयः– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक दिनांक 04.08.2021, 13.08.21 एवं 17.08.21

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अन्तर्गत इस विभाग की सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया था इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक दिनांक 04.08.21 के द्वारा योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश एवं दिनांक 17.08.21 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रकिया भी आपको भिजवायी जाकर इस योजना के विस्तृत प्रचार – प्रसार एवं निःशुल्क प्रेसनोट जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था । परन्तु आपके द्वारा इस पर घ्यान नहीं देने के कारण आज दिनांक तक योजना के बहुत ही कम/नगण्य आवेदन प्राप्त हुए हैं जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31.08.2021 है । इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 17.08.2021 द्वारा आपको आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाई गई जिला नोडल अधिकारियों की सूची भिजवाई जा चुकि है । योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी उक्त जिला नोडल अधिकारियों से प्रप्त की जा सकती है ।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पात्र छात्राओं को योजना के अन्तर्गत स्कूटी के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करने के लिए योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु व्यक्तिशः रूचि लेकर पात्र छात्राओं से दूरभाष पर सम्पर्क कर, स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेसनोट जारी करावें, टी.वी. केबल पर निःशुल्क प्रचार प्रसार करावें, कार्यालय नोटिस बोर्ड पर योजना की सूचना चस्पा करावें एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों को योजना के प्रचार प्रसार हेतु पाबन्द करें जिससे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का अधिकतम पात्र छात्राओं को लाभ मिल सके । योजना के तहत आपके जिले की यदि कोई भी पात्र छात्रा स्कूटी से वंचित रहती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा परिक्षेत्र को स्कूटी वितरण योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त योजना के तहत पात्र छात्राओं को आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु पाबन्द करने बाबत ।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/ समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को स्कूटी वितरण योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार एवं पात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु अपने अधीनस्थ विद्यालयों को पाबन्द करें ।
4. प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा को स्कूटी वितरण योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार एवं पात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु ।
5. एसीपी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

मुख्यलेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर